

कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़

'सी' ब्लॉक, तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर


E-Mail ID-atc.cg@nic.in, cgtransportoffice@gmail.com, Web- www.cgtransport.org

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 01/09/2017

क्रमांक 3002/स्था-04/सीधी भर्ती/टीसी/2017 :: राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चयन सूची क्रमांक-163/14/चयन/2017, दिनांक 25-04-2017 द्वारा सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परीक्षा पर अनन्तिम (provisional) रूप से वेतन बैंड 9300-34800+ग्रेड वेतन 4300/- (तदनुसार सातवें वेतनमान हेतु लागू वेतन) पर नियुक्त किया जाकर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक परिवहन आयुक्त कार्यालय, नया रायपुर में पदस्थ किया जाता है ।

स. क्रं	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रं.	चयनित उम्मीदवार का नाम व पिता का नाम	स्थायी पता	श्रेणी
1	1	श्री विवेक सिन्हा आत्मज- स्व. श्री हरि किशोर सिन्हा	मकान न.-444 सेक्टर-3 टाइप बी बालको टाउनशिप, जिला कोरबा (छ.ग) पिन-495684	अनारक्षित
2	2	श्री अमित प्रकाश कश्यप आत्मज- श्री ओम प्रकाश कश्यप	नगर निगम काम्पलेक्स के पीछे, इमली पारा अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग) पिन-497001	अपिव
3	4	श्री गौरव साहू आत्मज- श्री कृष्ण कुमार	रिंग रोड नं.1, लक्ष्मी नगर, एकता चौक रायपुर (छ.ग) पिन-492001	अपिव
4	5	श्री यशवंत कुमार यादव आत्मज- श्री गुलाब सिंह यादव	नया बस स्टैंड सौभाग्य काम्पलेक्स के पीछे, पचरी पारा दुर्ग (छ.ग) पिन-491001	अपिव
5	6	श्री चुन्नु लाल देवांगन आत्मज- स्व.श्री सेखूराम देवांगन	सांस्कृतिक भवन के पास, दुर्गापारा गांधी चौक, वार्ड न.-24 केम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग) पिन-490001	अपिव
6	7	श्री मृत्युंजय प्रसाद पटेल आत्मज- श्री कलानाथ पटेल	जलसंसाधन संभाग बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ.ग) पिन-491335	अपिव
7	8	श्री अतुल कुमार असैय्या आत्मज- श्री मेवा लाल असैय्या	चौखडिया पारा वार्ड न.-35 वैष्णो देवी मंदिर के पीछे, राजनांदगांव (छ.ग) पिन-491441	अजा
8	9	कुमारी युगेश्वरी वर्मा आत्मजा- श्री छेदनलाल वर्मा	132 के.व्ही. सब स्टेशन के पास बिजली कालोनी, तुलसी तह.-तिल्दा, जिला रायपुर (छ.ग) पिन-493114	अनारक्षित


01/09/17

9	10	श्री गौरव पाटले आत्मज- स्व. श्री एच. सी पाटले	अहमद लॉज के सामने, नया बस स्टेण्ड रोड मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग) पिन-495334	अजा
10	12	श्री प्रकाश कुमार रावटे आत्मज- श्री ज्ञानचंद रावटे	ग्राम पोस्ट-डौण्डी तहसील-डौण्डी जिला- बालोद (छ.ग) पिन-491228	अजजा
11	13	श्री अनिल कुमार भगत आत्मज- श्री चैंगाराम भगत	वार्ड कर्माक-31, सामुदायिक भवन के सामने दादर रोड खरमोरा, कोरबा (पूर्व) (छ.ग) पिन-495677	अजजा
12	15	श्री अरविन्द भगत आत्मज- श्री देवनारायण भगत	क्वा.न.-एफ/1363 एवरेस्ट विहार एच.बी.पी.एस कालोनी दर्सी कोरबा वेस्ट जिला कोरबा (छ.ग) पिन-495450	अजजा

शर्त :-

- (1) यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम (provisional) है । जाति, निवास, शैक्षणिक , चरित्र सत्यापन,स्वास्थ्य आदि प्रमाण पत्रों के उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यक्षीन है ।
- (2) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गयी जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी । जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार दावेदारी का हकदार नहीं होगा ।
- (3) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी ।
- (4) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी । संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।

 01/04/17

- (5) यह नियुक्ति 02 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर होगी तथा इस अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा ।
- (6) शासकीय / अर्द्ध शासकीय विभागों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (7) कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को स्वयं के पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण-पत्र (जैसे- मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण-पत्र आदि) प्रस्तुत करना होगा ।
- (8) शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त परिवहन उपनिरीक्षक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 से शासित होंगे ।
- (9) उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय " मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे । मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने का दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।
- (10) चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक शपथ-पत्र शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक शामिल को वापस करना होगा ।
- (11) चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी ।
- (12) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है ।
- (13) चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
- (14) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- (15) इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे ।

(प्रमुख सचिव, सह-परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)


01/11/17

(ओम प्रकाश पाल)

अपर परिवहन आयुक्त


छत्तीसगढ़ नया रायपुर

पृ. कं 3002A/स्था-04/सीधी भर्ती/टीसी/2017

नया रायपुर, दिनांक 01/09/2017

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
 3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
 4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
 5. अवर सचिव (परीक्षा), छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 260/14/चयन/2017, दिनांक 01-05-2017 के संबंध में।
 6. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
 7. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ रायपुर।
 8. सिटी कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती भवन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
 9. लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, नया रायपुर।
 10. लेखा शाखा, परिवहन आयुक्त कार्यालय नया रायपुर।
 11. संबंधित
 -
 -
 12. आदेश की नस्ती।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

The Governor of Chhattisgarh

WHERE IS.I.....
S/O.....R/O.....
.....Probationer in the State Transport Service (Hereinafter referred to as the probationer)
being entitled to receive from the Governor (Hereinafter referred to as the State Government) Pau and
allowance during the period in which I am under probation.

Now we, the probationer.....
S/O.....R/O.....and
Shri.....(Surety)

s/O.....R/O.....(hereinafter referred to as surety) Jointly
and severally. Do hereby promise and agree in the event of the Failure of the probationer to complete
probation to the satisfaction of the State Government. To refund the State Government on demand any
money paid to him during his probation period including the pay and traveling expenses to join
appointment.

The surety hereby agrees that his liability hereunder shall not be effected. by the State Government
extending the period of probation or giving the probationer and extention of time for payment of
compounding the amount hereunder-

“Stamp duty payable or this bond shall be borne and paid by the Government.

Dated this.....day of.....20

Signature of probationer.....

Full Name.....

Signed by probationer in the presence of

Name of witness

&

Signature.....

Address.....

Occupation.....

Name and signature of the surety.....

Signed by surety in the presence of;

Name of witness.....

&

Signature.....

Address.....

Occupation.....